कंपनी व एसपीवी भी निजी औद्योगिक पार्कों के प्रोत्साहन की पात्र

लखनऊ। कंपनी, भागीदारी, एसपीवी के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को भी निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना में पात्र माना जाएगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार ने निजी विकासकर्ता के दायरे में पंजीकरण अधिनियम-1860, भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 तथा कंपनी अधिनियम-2013 अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) संस्था को भी औद्योगिक संगठन व उद्यम के दायरे में शामिल कर दिया है। यदि प्रस्तावक कंपनी/भागीदारी/एसपीवी के उद्देश्यों में विधिवत संशोधन कर औद्योगिक पार्क व आस्थान की स्थापना को अपने उद्देश्य में शामिल कर लिया तो इन्हें नीति के तहत पात्र माना जाएगा। इसके लिए निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना के प्रस्तर-2.5 में संशोधन किया गया है। ब्यूरो

औद्योगिक पार्कों की स्थापना की प्रोत्साहन नीति में संशोधन